न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) नागौर

बइजलास–रामजस विश्नोई (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 91/2013

वादीगण	प्रतिवादीगण
1. गोविन्दराम पुत्र मुरलीधर 2. बन्नाराम पुत्र मुरलीधर (फौत) के कायम मुकाम अरविन्द परिहार पुत्र बन्नाराम 3. जंवरीलाल पुत्र रामप्रसाद 4. सम्पतलाल पुत्र रामप्रसाद समस्त जातियान नाई निवासीगण संखवास तह0 मूण्डवा जिला नागौर।	1. लीलाधर पुत्र सीताराम 2. मुन्नालाल पुत्र सीताराम 3. कैलाश पुत्र सीताराम 4. बंकटलाल पुत्र सीताराम 5. गुलाबी पत्नी सीताराम 6. अनिल कुमार पुत्र रामप्रसाद 7. पतासी पत्नी रामप्रसाद समस्त जातियान नाई निवासीगण संखवास तह0 मूण्डवा जिला नागौर 8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मूण्डवा

वकील वादी
1. श्री महेन्द्र कुमार शर्मा,

वकील प्रतिवादीगण
1. श्री गंगासिंह कालवी

निर्णय दिनांक :– 09.09.2020

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता एक वाद वास्ते बाबत घोषणा खातेदारी, बंटवाडा व रेकर्ड दुरूस्ती का पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। राजस्व वाद का संक्षिप्त विवरण निम्नांनुसार है –

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 एक ही परिवार के सदस्यगण हैं तथा स्व. मुरलीधर के वारिसान हैं। वादीगण गोविन्दराम व बन्नाराम व उनके भाईयों रामप्रसाद व सीताराम की सहखातेदारी व कब्जे का एक खेत खसरा नम्बर 1511 रकबा 21 बीघा 13 बिस्वा मौजा संखवास में स्थित हैं। जिसका पर्चा लगान रामप्रसाद, सीताराम, गोविन्दराम, बन्नाराम, पिसरान, मुरलीधर के नाम से जारी किया गया।

खेत खसरा नम्बर 1511 रकबा 21 बीघा 13 बिस्वा पक्षकारान के सहखातेदारी व सहकब्जे काश्त का खेत हैं जिसमें वादी गोविन्दराम का 1/4 हिस्सा, वादी बन्नाराम का 1/4 हिस्सा एवं वादीगण संख्या 3 व 4 तथा प्रतिवादी संख्या 6 व 7 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा निहित करता हैं। के मध्य खेत का भौतिक विभाजन नहीं हुआ है तथा खेत शामिलाती कब्जे काश्त व खातेदारी का खेत हैं। जिस पर सुविधा अनुसार काश्त करते आ रहे है। मौके पर खेत संयुक्त कब्जे काश्त व सहखातेदारी में दर्ज है। जिसका हिस्सा अनुसार पक्षकारान ने बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स भौतिक विभाजन करवाया जाकर अलग–अलग कब्जा करवाया जाना व माफिक हिस्सा खातेदारी की अलग–अलग घोषणा की जाकर रेकर्ड में अलग–अलग दर्ज की जानी आवश्यक न्याय संगत हैं ताकि पक्षकारान अपने हक हिस्से के खेत का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सके। इसके लिए यह वाद पेश हैं। उक्त खेत खसरा नम्बर 1511 रकबा 21 बीघा 13 बिस्वा

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

मौजा. संखवास संयुक्त कब्जे काश्त एवं सहखातेदारी का खेत हैं। जिसका विभाजन करने हेतु वादीगण ने प्रतिवाद संख्या 1 से 5 से दिनांक 15.06.2013 को निवेदन किया तो प्रतिवादीगण आनाकानी करने लगे इसलिए भौतिक विभाजन हेतु वाद पेश करना आवश्यकं होने से यह वाद पेश हैं।

न्यायालय द्वारा पक्षाकारान के बाद शहादत सबूत के दिनांक 25.04.2017 को प्राथमिक डिक्री सादिर की गई। उक्त प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादीगण ने माननीय राजस्व अपील अधिकारी नागौर के न्यायालय में अपील-प्रस्तुत की गई, जो अपील संख्या 133/2017 पर दर्ज रजिस्टर की गई एवं दिनांक 04.07.2019 को अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर न्यायालय हाजा का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.04.2017 यथावत रखा गया।

न्यायालय हाजा के द्वारा जारी की गई डिक्री की पालना रिपोर्ट तहसीलदार मूण्डवा से प्राप्त हो चुकी हैं, जो शामिल पत्रावली हैं, जिस पर दोनों पक्ष सहमत हैं।

बहस वकुलाय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः वादी का वाद निम्न प्रकार से अन्तिम डिक्री किया जाता हैं :-

A. ग्राम संखवास तहसील मूण्डवा के खसरा नम्बर 1511 रकबा 21 बीघा 13 बिस्वा में से 5 बिघा 8 बिस्वां उत्तरी दिशा से पहला बंट अरविन्द पुत्र बन्नाराम के बन्ट में जरिये कायम मुकाम पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 21.06.2019 के आधार पर बन्ट कब्जा काश्त व खातेदारी में घोषित किया जाता हैं।

B. ग्राम संखवास तहसील मूण्डवा के खसरा नम्बर 1511 रकबा 21 बीघा 13 बिस्वा में से 5 बिघा 8 बिस्वां उत्तरी दिशा से दुसरा बंट जंवरीलाल, सम्पतलाल, अनिल कुमार पुत्रगण रामप्रसाद व पतासी पत्नी रामप्रसाद के संयुक्तन्हा बन्ट कब्जा काश्त व खातेदारी में घोषित किया जाता हैं

C. ग्राम संखवास तहसील मूण्डवा के खसरा नम्बर 1511 रकबा 21 बीघा 13 बिस्वा में से 5 बिघा 8 बिस्वां उत्तरी दिशा से तीसरा बंट गोविन्दराम पुत्र मुरलीधर के बंट कब्जा काश्त व खातेदारी में घोषित किया जाता हैं।

D. ग्राम संखवास तहसील मूण्डवा के खसरा नम्बर 1511 रकबा 21 बीघा 13 बिस्वा में से 5 बिघा 9 बिस्वां उत्तरी दिशा से चौथा बंट लीलाधर, मुन्नालाल, कैलाश, बंकटलाल पुत्रगण सीताराम व गुलाबी पत्नी सीताराम के संयुक्तन्हा बन्ट में कब्जा काश्त व खातेदारी में घोषित किया जाता हैं।

उपर्युक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदा मूण्डवा की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग होगा। नियमानुसार आवश्यक स्टाम्प ड्यूटी प्रस्तुत होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार मूण्डवा को लिखा जावे।

निर्णय दिनांक 09.09.2020 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(रामजस विश्नोई)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (मु.)
सहायक कलक्टर (मु.) नागौर